रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-73

REGISTERED No. D. (D.N.)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 16, 1985/माघ 27, 1906
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 16, 1985/MAGHA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
(पर्यावरण विभाग)

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1985

संकल्प

संख्या क्यू-14011/4/84-ई.पी.सी.(1):—गंगा नदी लाखों लोगों का जीवन धन है। इसका हमारी संस्कृति एवं परम्परा से घनिष्ठ संबंध है तथा असंख्य लोगों का स्वास्थ्य और कल्याण गंगा के जल की पवित्रता और स्वच्छता पर निर्भर करता है। तथापि, वर्षों से नदी का अन्धाधुंध ढंग से प्रदूषण और दुरुपयोग किया जा रहा है। केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण बोर्ड द्वारा किये गए गंगा बेसिन के एक व्यापक सर्वेक्षण से पता लगा है कि कि अपनी असाधारण समुत्थान-शक्ति तथा स्वास्थ्यकर क्षमता के बावजूद नदी कई स्थानों पर बुरी तरह से प्रदूषित हो गई है।

2. जल ग्रहण क्षेत्रों में वन-विनाश द्वारा भाव का अभाव, बाढ़ तथा जहाजरानी की घटती हुई सम्भावनाएं, कीटनाशकों तथा खाद की निकासी एवं औद्योगिक व शहरी अपशिष्ट, चिन्ता के अन्य प्रमुख विषय हैं। ऐसे उपायों की आवश्यकता है जिन से उन पूरे न हो सकने वाले नुकसान को रोका जाए तथा इस विशिष्ट नदी तंत्र की जल गुणवत्ता को पुनः स्थापित किया जा सके। जहां एक ओर ऐसे दीर्घकालीन कार्यक्रम को सुनियोजित तथा विभिन्न चरणों में क्रियान्वित करने की आवश्यकता है जिस में सभी पहलू निहित हों, वहां दूसरी ओर प्रदूषण की समस्याओं पर अति शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है क्योंकि लगभग 80 प्रतिशत बीमारियां जल से पैदा होती हैं।

3. गंगा को प्रदूषित करने वाले प्रमुख स्रोत हैं—वे नगरीय तथा औद्योगिक द्रवीय अपशिष्ट जो उत्तर प्रदेश, बिहार, तथा पश्चिमी बंगाल में इसके किनारे पर बसे 29 श्रेणी-1 नगर, 23 श्रेणी-2 नगर तथा अन्य 48 शहरों से निकलते हैं। प्रस्तावित कार्यकारी योजना में मल उपचार एककों की स्थापना तथा उनके सम्यक संचालन तथा अनुरक्षण की परिकल्पना की गई है। मल उपचार की मूल सुविधाओं के साथ-साथ ऊर्जा तथा खाद के उत्पादन, मत्स्यपालन,

शैवाल संवर्धन तथा उपचारित जल द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। इन उपायों से आर्थिक लाभ होने के अलावा इस कार्यकारी योजना से बहुमुखी पर्यावरणीय सुधार भी होगा।

4. गंगा में प्रदूषण के नियन्त्रण कार्य से कई संगठन संबंधित हैं जैसे कि स्थानीय निकाय, औद्योगिक इकाइयां, राज्य तथा केन्द्रीय अभिकरण और उनकी क्षेत्रीय संस्थाएं। अतः विभिन्न स्तरों पर समन्वित कार्रवाई के लिए एक उचित प्रणाली की आवश्यकता है। इस कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिए, सम्बन्धित राज्य सरकारों को प्रमुख जिम्मेवारी निभानी होगी।

5. इस कार्यकारी योजना के क्रियान्वयन पर निगरानी के लिए, भारत सरकार, एतद्द्वारा एक केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण (के. गं. प्रा.) की स्थापना करती है। केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण का उद्देश्य, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, स्वैच्छिक अभिकरणों तथा इस कार्य में रुचि रखने वाले अन्य संगठनों जैसे सभी अभिकरणों द्वारा किये जाने वाले प्रयासों से गंगा तथा इसकी सहयोगी नदियों के जल की गुणवत्ता को स्वीकार्य मानक स्तर तक सुधारना होगा। केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होगा तथा इसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

1. केन्द्रीय वित्त मंत्री।
2. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. मुख्य मंत्री, बिहार।
4. मुख्य मंत्री, पश्चिमी बंगाल।
5. उपाध्यक्ष, योजना आयोग।
6. राज्य मंत्री, योजना, भारत सरकार।
7. राज्य मंत्री, पर्यावरण और वन, भारत सरकार।
8. राज्य मंत्री, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, भारत सरकार।
9. सदस्य (विज्ञान), योजना आयोग।

सचिव, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत तथा सचिव, पर्यावरण विभाग इस प्राधिकरण के स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे।

6. केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण के निम्नलिखित कार्य होंगे :

(क) उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त नीतियों तथा कार्यक्रमों (दीर्घावधि तथा अल्पावधि) को तैयार करना, बढ़ावा देना तथा अनुमोदित करना,

(ख) कार्यकारी योजना की जांच करना तथा अनुमोदन करना,

(ग) वित्तीय संसाधन जुटाना,

(घ) कार्यान्वयन की प्रगति की पुनरीक्षा करना तथा कार्यक्रम को अनुमोदित करना और संचालन समिति को आवश्यक निर्देश देना, और

(ङ) प्राधिकरण के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यथावश्यक उपाय करना।

केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण की बैठक वर्ष में एक बार अवश्य होगी।

7. एतद्द्वारा एक संचालन समिति का गठन किया जाता है जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय पर्यावरण विभाग के सचिव होंगे। इस संचालन समिति की सदस्यता निम्नलिखित होगी :

1. सचिव, पर्यावरण विभाग	अध्यक्ष
2. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार (अथवा उनका प्रतिनिधि)	अध्यक्ष
3. मुख्य सचिव, बिहार सरकार (अथवा उनका प्रतिनिधि)	सदस्य
4. मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार (अथवा उनका प्रतिनिधि)	सदस्य
5. सचिव, निर्माण तथा आवास मंत्रालय/सलाहकार, केन्द्रीय जन स्वास्थ्य तथा पर्यावरण इंजीनियरिंग संगठन (अथवा उनके प्रतिनिधि)	सदस्य
6. सचिव, गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग	सदस्य
7. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण बोर्ड	सदस्य
8. संयुक्त सचिव, उर्वरक प्रभाग कृषि मंत्रालय	सदस्य
9. संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, (व्यय विभाग)—जो इस विषय को देख रहे हैं।	सदस्य
10. संयुक्त सचिव, औद्योगिक विकास मंत्रालय—जो औद्योगिक इकाइयों के लाइसेंसिंग से संबंधित हैं	सदस्य
11. स्वास्थ्य मंत्रालय से एक प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे के न हों।	सदस्य
12. एक वरिष्ठ जन स्वास्थ्य इंजीनियर जो संयुक्त सचिव अथवा समकक्ष के स्तर से नीचे के न हों तथा जिन्हें मल व्यवस्था पद्धतियों और मानव तथा पशु मलमूत्र से स्रोत उपलब्धि का अनुभव हो।	सदस्य
13. योजना आयोग का एक प्रतिनिधि (विषय से संबंधित अधिकारी) जो संयुक्त सचिव या समकक्ष के स्तर से नीचे के न हों।	सदस्य
14. एक विशेषज्ञ—जो मलजल में शैवाल—संवर्धन से संबंधित हों।	सदस्य

15. एक विशेषज्ञ—जो मत्स्यपालन से संबंधित हो	सदस्य
16. एक विशेषज्ञ—जो औद्योगिक अपशिष्ट उपचार से संबंधित हो	सदस्य
17. परियोजना निदेशक केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण	सदस्य

8. केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण के सामान्य व विशिष्ट निदेशों के अनुसार संचालन समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(क) गंगा में जल गुणवत्ता में सुधार के लिए उपयुक्त नीतियां बनाना, अथवा उन्हें बढ़ावा देना, योजनाएं, कार्यक्रम तथा परियोजनाएं तैयार करना;

(ख) केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के अनुसार विशिष्ट परियोजनाओं को अनुमोदित करना;

(ग) अनुमोदित कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न अभिकरणों को निधियों का आबंटन करना;

(घ) संबंधित अभिकरणों के माध्यम से जल गुणवत्ता प्रबोधन को आयोजित करना।

(ङ) प्राधिकरण के उद्देश्यों से संबंधित अध्ययनों को आयोजित करना;

(च) विभिन्न कार्यक्रमों/परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी तथा प्रबोधन करना एवं कार्यान्वयन अभिकरणों को आवश्यक निर्देश देना; तथा

(छ) प्राधिकरण को कार्यकारी योजना तथा उसके निर्देशों के कार्यान्वयन की प्रगति की रिपोर्ट देना।

9. केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा, ताकि उनके राज्यों में परियोजनाओं की तैयारी, उनके शीघ्र कार्यान्वयन तथा प्रबंध के लिये आवश्यक रूप रेखा तैयार की जा सके।

10. केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण तथा उसकी संचालन समिति को पर्यावरण विभाग द्वारा सेवायें प्रदान की जाएंगी।

11. संचालन समिति के गैर-सरकारी सदस्य, भारत सरकार के नियमों के अनुसार, यात्रा एवं दैनिक भत्तों के हकदार होंगे।

त्रिलोकी नाथ खुशू, सचिव।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

(Department of Environment)

New Delhi, the 16th February, 1985

RESOLUTION

No. Q. 14011/4/84-EPC(I).—The river Ganga is the lifeline of million of people. It is closely interwoven with our culture and tradition, and the health and well-being of a large population are closely bound with its water quality. Yet, over the years, the river has been indiscriminately polluted and misused. A comprehensive survey of the Ganga Basin by the Central Board for Prevention and Control of Water Polution (CBPCWP) reveals that the river, despite its extraordinary resilience and recuperative capacity, is severely polluted at several places.

2. Deforestation in the catchment areas leading to high silt loads, floods and reduced navigational possibilities, drainage of pesticides and fertilisers and industrial and municipal waste are among other major areas of concern. It is necessary to take measure for preventing irreversible damage and restoring the water quality of this unique riverine system. While a holistic long-term programme covering all the aspects needs to be planned and implemented in phases, the pollution problem call for immediate action particularly because about 80% diseases are water borne.

3. The main sources of pollution of the Ganga are urban and industrial liquid wastes from 29 Class-I cities, 23 Class-II cities and about 48 other towns situated on its banks in UP, Bihar and West Bengal. The proposed Action Plan envisages installation of sewage treatment units and ensuring their proper operation and maintenance. The basic facilities of sewage treatment will be coupled with production of energy, manure and provision for pisciculture, algaculture and irrigation through treated water. Besides conferring economic benefits through these measures, the Action Plan will lead to all round environmental improvement.

4. Pollution control in the river involves many organisations like local bodies, industrial units, State and Central agencies and their field organisations. An appropriate mechanism is, therefore, necessary for coordinated action at various levels. The concerned State Governments would have to assume a major responsibility for the successful implementation of the programme.

5. To oversee the implementation of the Action Plan, the Government of India do hereby set up a Central Ganga Authority (CGA). The objective of the CGA will be to improve the water quality of the Ganga and its tributaries to acceptable standards through mobilisation of the efforts of all agencies, such as State Governments, local bodies, voluntary agencies and other organisations interested in this task. The Authority will be under the chairmanship of the Prime Minister with the following membership :

1. Union Finance Minister
2. Chief Minister, UP
3. Chief Minister, Bihar
4. Chief Minister, West Bengal
5. Deputy Chairman, Planning Commission
6. Minister of State, Planning GOI
7. Minister of State, Environment and Forests, GOI
8. Minister of State, Science & Technology, GOI
9. Member (Science), Planning Commission

Secretary, Department of Non-Conventional Energy Sources and Secretary, Department of Environment would be permanent invitees to this Authority.

6. The functions of the CGA shall be the following :

(a) To lay down, promote and approve appropriate policies and programmes (long and short term) to achieve the objectives;

(b) To examine and approve the Action Plan;

(c) To mobilise financial resources;

(d) To review the progress of implementation and approve programme and give necessary directions to the Steering Committee; and

(e) To take all such measures, as may be necessary, for achieving the objectives of the Authority.

The CGA will meet at least once a year.

7. A Steering Committee is also hereby constituted under the chairmanship of the Secretary, Union Department of Environment. Its membership will consist of the following :

1. Secretary, Department of Environment	Chairman
2. Chief Secretary, UP Government (or his representative)	Member
3. Chief Secretary, Bihar Government (or his representative)	Member
4. Chief Secretary, West Bengal Government (or his representative)	Member
5. Secretary/Advisor, M/o Works & Housing CPHEEO (or their representative)	Member
6. Secretary, Department of Non-Conventional Energy Sources	Member
7. Chairman, Central Board for Prevention and Control of Water Pollution	Member
8. Joint Secretary, Fertilizer Division, Ministry of Agriculture	Member
9. Joint Secretary, Ministry of Finance (D/o Expenditure) dealing with the subject	Member
10. Joint Secretary, M/o Industrial Development conerned with licensing of Industrial units	Member
11. A representative of the Ministry of Health but not below the rank of Joint Secretary	Member
12. A senior Public Health Engineer but not below the rank of Joint Secretary or equivalent with experience of sewerage systems and resource recovery from sewage and human and animal excreta.	Member
13. A representative of the Planning Commission (officer concerned with the subject) but not below the rank of Joint Secretary or equivalent.	Member
14. An expert on Algriculture in sewage	Member
15. An expert on Pisciculture	Member
16. An expert on industrial waste treatment	Member
17. Project Director Central Ganga Authority	Member-Secy.

8. Subject to general or specific directions of the CGA, the Steering Committee shall perform the following functions :

(a) To evolve or promote appropriate poliicies, prepare plan programmes and projects for improving water quality in the Ganga ;

(b) Approve specific projects according to the Annual Plan approved by the CGA;

(c) Allocate funds available to various agencies for implementing the approved programmes and projects;

(d) Sponsor water quality monitoring through concerned agencies;

(e) Sponsor studies relevant to the objectives of the Authority;

(f) Oversee and monitor the implementation of various programmes/projects and give necessary directions to the implementing agencies ; and

(g) Report to the Board the progress of the implementation of the Action Plan and its directions.

9. Cooperation of each of the States of UP, Bihar and West Bengal would be enlisted to ensure creation of all the necessary structures for formulation, expeditious implementation and management of projects within their States, for furtherance of the objectives of the CGA at the State level.

10. The CGA and the Steering Committee will be serviced by the Department of Environment.

11. The non-official members of the Steering Committee shall be entitled to travelling and daily allowance as per the Government of India rules.

T.N. KHOSHOO, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985